महत्वपूर्ण एवं खास

बीसी एवं सीएसपी (कियोस्क) केन्द्र का होगा संचालन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक

» संचालन के समय सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशंवत कुमार ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजनान्तर्गत खाता धारक को राशि वितरण करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक कार्पोरेट सेन्टर मुम्बई एवं डीएफसी के दिशा-निर्देशानुसार बीसी (बैंकिग कोरेस्पोंडेंट/बैंकिग सेवा केन्द्र) एवं सीएसपी (कस्टमर सर्विस पाईन्ट/ग्राहक सेवा केन्द्र कियोस्क) संचालन के लिए प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक किए जाने के लिए अनुमति दी है। संचालन के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है।

कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने दिया एक दिन का वेतन

» मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा हुआ 4,57,988 रुपए

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला रायगढ़ के कृषि विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देशव्यापी संक्रमण कोरोना वायरस से संक्रमित एवं प्रभावितों की आर्थिक सहायता हेतु माह मार्च 2020 के वेतन से अपना एक दिन का वेतन दिया। जिसमें कुल 4 लाख 57 हजार 988 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया गया है।

14 अप्रैल तक बंद रहेगा रायगढ़ पंजीयन

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर 7 अप्रैल 2020 तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे। चूंकि संक्रमण का आशंका अभी भी बनी हुई है। जिसे ध्यान में रखते हुए आगामी 14 अप्रैल 2020 तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेशानुसार 14 अप्रैल तक रायगढ़ पंजीयन कार्यालय भी बंद रहेगा।

जशपुर विधायक भगत ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की सहयोग राशि

रायपुर। मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। इसी क्रम में जशपुर विधायक श्री विनय कुमार भगत द्वारा अपने एक माह का वेतन एवं विधायक निधि से 10 लाख रूपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया है।

पोल्ट्री उत्पाद कोरोना संक्रमण से सुरक्षित

रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि में मद्दगार के लिए उत्तम प्रोटीन युक्त भोजन लेना जरूरी है। इसके लिए अण्डा और चिकन खाने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अण्डा एवं चिकन प्रोटीन का सबसे सुरक्षित और सस्ता स्त्रोत है। पशु स्वास्थ्य के लिए कार्य करने वाले विश्व संगठन (ओ.ई.आई.) ने बताया है कि अण्डा व चिकन खाने और कोरोना संक्रमण फैलने में कोई संबंध नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि केन्द्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान (सी.ए.आर.आई.) ने पाया है कि भारतीय पोल्ट्री उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित है।

14 अप्रैल के बाद रेल सुविधा शुरू होगा या नहीं संशय कायम

रायपुर(आरएनएस)। देश में जारी लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को उनके राज्यों तक सही-सलामत पहुंचाने के लिए देश में सीमित ट्रेन सुविधा शुरू किए जाने की अटकलों के बीच यह खबर भी सामने आई है कि बिलासपुर जोन को इसके लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है।

कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कम्युनिटी सर्विलेंस अत्यंत महत्वपूर्ण- यशवंत कुमार

» कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर कम्युनिटी सर्विलेंस का हुआ मॉक ड्रिल » स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर जाकर किया सर्वे का अभ्यास

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम्युनिटी सर्विलेंस का मॉक ड्रिल किया गया। जिसके अनुसार यदि शहर में कोरोना पाजिटिव पाया जाता है उस स्थिति में गाइडलाइन्स के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के निवास के आसपास के घरों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जाने वाले सर्वे का अभ्यास किया गया।

रायगढ़ के सत्तीगुड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों के द्वारा लगभग 200 घरों में यह सर्वे किया गया। कलेक्टर यशवंत कुमार स्वयं मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहे। सर्वे के पूर्व उन्होंने सभी टीम को निर्देश दिए कि प्रत्येक घरों में जाकर निर्धारित फार्मेट अनुसार पूरी जानकारी एकत्र करें। उन्होंने कहा कि किसी संक्रमित के पता चलने पर संक्रमण की रोकथाम के लिए किया जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य अतः मॉक ड्रिल में भी पूरी गंभीरता से सर्वे करें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षा के उपायों का पालन भी करें।

इस मौके पर एडीएम राजेन्द्र कटारा, जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठी की। कलेक्टर यशवंत कुमार व अन्य अधिकारीगण भी वहीं उपस्थित रहे। सर्वे के लिए बने प्रपत्र अनुसार जानकारी एकत्रित की गई जिसमें घर का पता, मुखिया का फोन नंबर, परिवार के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, उनके नाम, उम्र, लिंग, व परिवार के लोगों की मेडिकल हिस्ट्री के साथ ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में भी पूछा गया। जिसमें किसी सदस्य द्वारा यदि विदेश या अन्य राज्य की यात्रा की गई है तो वह जानकारी ली गई। लॉक डाउन में घर में यदि कोई मेहमान रुके हैं तो यह भी प्रपत्र में दर्ज किया गया।

कलेक्टर यशवंत कुमार इसके बाद बंशीवट में बने क्वारेंटाईन सेंटर के निरीक्षण में पहुंचे। जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और यहां रखे जाने वाले लोगों के अंदर सकारात्मकता बनी रही इसके लिए उनकी नियमित कॉउंसलिंग करवाने के निर्देश सीएमएचओ को दिए। इसके पश्चात अधिकारीगण मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंचे। जहां आईसोलेशन वार्ड को 30 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर किया गया है।

जिसके लिए अब अस्पताल के चार फ्लोर को आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने मेडिकल कालेज के डीन डॉ.पी.एम.लूका को निर्देश दिया कि अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बिस्तरों की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त लाजिस्टिकल सपोर्ट के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता है उनकी प्राथमिकता क्रम में सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

व्हाट्सएप ग्रुप पर कोविड-19 को लेकर भ्रामक पोस्ट, पोस्ट भेजने वाले पर हुई कार्यवाही

» ग्रुप एडमिन ने निभाई जिम्मेदारी दर्ज कराया एफआईआर

» सभी सोशल साइट्स पर रखी जा रही है नजर, संज्ञान में आने पर और भी हो सकती है कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ में दिनांक 07.04.2020 को खुडूभांटा में रहने वाले साप्ताहिक अखबार प्रथम आवाज के संपादक एवं प्रकाशक हरिनाथ खूंटे द्वारा कृष्ण कुमार महिलाने निवासी बरतुंगा के विरुद्ध व्हाट्सएप ग्रुप में कोविड-19 महामारी को लेकर भ्रामक खबरें फोटो के साथ पोस्ट किए जाने को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिस पर आरोपी कृष्णकांत महिलाने के विरुद्ध अपराध क्रमांक 159/2020 धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

रिपोर्टकर्ता ने बताया कि उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है तथा महिलाने सहित कई अन्य लोग भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं दिनांक 06.04.2020 के रात्रि कृष्ण कुमार महिलाने द्वारा असामाजिक व झूठी भ्रामक समाचार फोटो के साथ पोस्ट किया था जिसे लेकर ग्रुप एडमिन हरीनाथ ने तुरंत उस पोस्ट को कृष्ण कुमार को डिलीट करने के लिए बोले पर कृष्ण कुमार उस पोस्ट को डिलीट नहीं किया।

जिससे ग्रुप एडमिन के नाते वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए थाना सारंगढ़ में आज कृष्ण कुमार कुमार महिलाने के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएं हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में सभी सोशल साइट पुलिस के सायबर सेल की निगरानी में है। जिससे ऐसी भ्रामक व अराजकता फैलाने वाले पोस्ट, ट्वीट्स आदि की सूचनाएं प्राप्त होने पर अथवा संज्ञान में आने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

जिले में आज तक कोई भी कोरोना के पाजिटिव मरीज नहीं

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 01 जनवरी 2020 के बाद विदेशों से कुल 146 यात्री आये हैं जिसमें से 112 यात्रियों का होम आईसोलेशन एवं क्वारेंटाईन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है। शेष 34 यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है।

इनके घरों के आस-पास 50 घरों का कम्यूनिटी सर्वेलेंस किया गया है एवं सतत् निगरानी रखी जा रही है। जिले में अन्य राज्य से अब तक कुल 5860 यात्री आये हैं जिसमें से 168 यात्रियों का होम आईसोलेशन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है। शेष 5692 यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है एवं सतत् निगरानी की जा रही है। जिले में कुल 115 व्यक्तियों का सेम्पल संग्रहण कर जांच हेतु भेजा गया है। जिसमें से 110 व्यक्तियों का रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुआ है।

शेष 05 का रिपोर्ट अप्राप्त है। जिले में 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु अस्पताल रायगढ़ को कोविड-19 हास्पिटल बनाया गया है। जिले में संदेहास्पद व्यक्तियों को रखने हेतु प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 06 बेड एवं चिन्हांकित, निजी चिकित्सालयों में 06 बेड का आईसोलेशन वार्ड व्यवस्था की गई है। जिले के चिन्हांकित क्वारेंटाईन सेंटर बंशीवट पहाड़ मंदिर रोड़, रायगढ़ में 05 व्यक्तियों एवं रैनबसेरा धरमजयगढ़ में 04 व्यक्तियों को क्वारेंटाईन में रखा गया है। उनकी नियमित जांच एवं निगरानी की जा रही है।

वर्तमान में जिले में किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 बीमारी के लक्षण नहीं पाये गये है एवं आज दिनांक तक कोई भी कोविड-19 के पॉजिटीव मरीज नहीं है।

जिले के सभी निवासियों से अपील है कि लॉकडाउन को सफल बनाएं एवं सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें तभी इसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा।

जिले में यदि ऐसे किसी भी संदिग्ध प्रवासी की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, तो टोल फ्री नम्बर 104 पर एवं अंतर्विभागीय समन्वय हेतु दोनों नम्बर 9589356700 तथा 9981811582 पर एवं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल सूचना देवें। कोरोना संक्रमण के विरूद्ध लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों के वेतन भुगतान की समस्या हुई दूर

» श्रम विभाग ने की त्वरित कार्रवाई

» लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में ठेका संस्थाओं पर

» वेतन भुगतान नहीं करने श्रमिकों ने की थी शिकायत

रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने राज्य शासन को वेतन भुगतान नहीं होने संबंधी शिकायत की थी। जिस पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश श्रम विभाग के अधिकारियों को दिए थे। श्रम विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा के निर्देशन पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दुर्ग संभाग द्वारा इस संबंध में भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर इन ठेका श्रमिकों का शीघ्र वेतन भुगतान कराने के लिए निर्देशित किए थे।

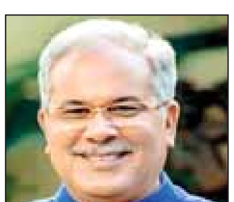

भिलाई इस्पात प्रबंधन द्वारा संबंधित ठेका संस्थाओं से समन्वय एवं जांच-पड़ताल कर उक्त संस्था के संचालकों को उनके द्वारा नियोजित और भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत श्रमिकों का वेतन तत्काल भुगतान करने को कहा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा संबंधित संस्था प्रथम नेशनल इंदौर (मध्यप्रदेश) की जांच-पड़ताल में संस्था द्वारा संस्था के संचालक का लॉकडाउन में इंदौर में फंसे होने के कारण वेतन भुगतान में विलंब होना बताया गया। उन्होंने आज ही ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा वेतन भुगतान कर पावती भेज देने का आश्वासन दिया है।

इसी प्रकार संस्था कुसुम इंजीनियरिंग, भिलाई के संचालक श्री लालबाबू श्रीवास्तव द्वारा श्रम अधिकारी के समक्ष उनके 14 श्रमिकों को आठ अप्रैल को वेतन भुगतान करने सहमति दी गई है।

14 अप्रैल तक बंद रहेंगे जिले के सभी मदिरा दुकानें, रेस्टॉरेंट एवं होटल बार

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर यशवंत कुमार ने संपूर्ण रायगढ़ जिला में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2020 तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2)विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घ एवं एफ.एल.-3 होटल बार)दुकानें, भण्डारण भाण्डागार तथा समस्त रेस्टोरेन्ट एवं होटल बार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त दिवसों में मदिरा के विक्रय एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया है और संबंधित अधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

मुख्यमंत्री ने जेल के बंदियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से प्रदेश की जेलों में परिरूद्ध बंदियों और जेल के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बातचीत कर वहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर की केन्द्रीय जेल सहित प्रदेश की पांच केन्द्रीय जेल, जिला और उप जेलों के अधिकारियों और बंदियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने जेल में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग और बार-बार हाथ धोने जैसी सावधानियां का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इस अवसर पर गृह एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री बघेल ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न वर्गो लगातार बात कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज जेलों में बंद एवं विचाराधीन कैदियों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जेलों में स्वच्छता, बंदियों के स्वास्थ्य, भोजन व्यवस्था, बंदियों की मुलाकात व्यवस्था, स्वस्थ मनोरंजन, बंदियों को विधिक सहायता और बंदियों की रिहाई तथा जेलों में संचालित लघु उद्योगों की जानकारी अधिकारियों से ली।

आंगनबाड़ी के बच्चों की घर में देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के लिए पालकों को वाट्सअप से मिलेगी जानकारी

रायपुर (आरएनएस)। पोषण के साथ ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा भी बच्चों के विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने शून्य से छह वर्ष के बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) पर आधारित एक अभिनव प्रयास शुरू किया है। इसके तहत डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से अभिभावकों तक बच्चों के समग्र विकास की सटीक सूचनाएं प्रेषित की जाएंगी। सभी जिला कलेक्टरों को जिले में इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए प्रदेश में लागू लाकडाउन के चलते सभी आंगनबाड़ियों का संचालन भी बंद है। आंगनबाड़ियों के बंद होने से बच्चों के स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किया है।

जिला न्यायाधीश से रमाशंकर प्रसाद ने न्यायालयीन कार्यों के लिए जारी किया आदेश

» जिला न्यायालय रायगढ़ के अंतर्गत समस्त न्यायालयों के लिए है यह आदेश

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने जिला न्यायालय रायगढ़ के अंतर्गत समस्त न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकृति के कार्यों के संपादन हेतु आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि समस्त जमानत एवं सुपुर्दनामा आवेदन एवं अन्य सभी अत्यावश्यक प्रकृति के दावे एवं आवेदन इत्यादि की फाईलिंग 7 एवं 8 को अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक एवं अपरान्ह 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएगी। प्राप्त आवेदनों के संबंध में विनिश्चय, जिला मुख्यालय में जिला न्यायाधीश के द्वारा एवं बाह्य न्यायालयों की दशा में संबंधित पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा कि वे अत्यावश्यक रूप से सुनवाई योग्य है अथवा नहीं और सुनवाई योग्य होना पाये जाने पर संबंधित आवेदन एवं दावे को पंजीकृत किया जाएगा। शेष प्राप्त आवेदनों एवं दावों पर न्यायिक कार्य के पूर्ववत सामान्य रूप से संचालन होने पर नियमित रूप से की जाने वाली कार्यवाही की जाएगी। 7 एवं 8 अप्रैल 2020 को प्राप्त किए गए आवेदनों को अंतिम सुनवाई सह तर्क हेतु एवं यथोचित आदेश हेतु 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2020 हेतु नियत किया जाएगा। 7 एवं 8 अप्रैल को ही प्राप्त हुए जमानत एवं सुपुर्दनामें के आवेदन हेतु यथावश्यक केस डायरी एवं अभिलेख प्रेषित करने हेतु मांग पत्र संबंधित आरक्षी केन्द्र एवं अधीनस्थ न्यायालयों को 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2020 को पूर्वान्ह 11 बजे पेश करने हेतु अनिवार्यतः जारी किया जावे। इस हेतु संचार साधनों को उपयोग में लिया जाए। प्रस्तुत आवेदनों की सुनवाई की तिथि 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2020 को सुनवाई में लिए जाने वाले प्रकरणों के संबंध में कॉज लिस्ट 13 अप्रैल 2020 की संध्या 5 बजे तक सभी संबंधित अधिवक्ताओं को प्रसारित कर दी जाएगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-